"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2017—अग्रहायण 17, शक 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजकुमार श्रीवास्तव आत्मज स्व. सुंदरलाल श्रीवास्तव, उम्र 69 वर्ष, जाति-कायस्थ, निवासी ग्राम-उमरवाही, तहसील-छुरिया, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम रेवाराम वर्मा था, यह नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड तथा बैंक खातें में दर्ज है, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम राजकुमार श्रीवास्तव रख लिया हूं तथा यही नाम मेरे राजस्व रिकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, अन्य बैंक पास बुक तथा मेरे बच्चों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों में भी दर्ज है. मेरा परिवर्तित नया नाम प्रचलन में है. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे राजकुमार श्रीवास्तव आ. स्व. सुंदरलाल श्रीवास्तव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावें.

पुराना नाम	**नया नाम**
रेवाराम वर्मा पिता-स्व. सुंदर लाल वर्मा निवासी-ग्राम-उमरवाही, तहसील-छुरिया जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)	राजकुमार श्रीवास्तव पिता-स्व. सुंदरलाल श्रीवास्तव निवासी-ग्राम-उमरवाही, तहसील-छुरिया जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सरिता खान्डे ध. प. श्री छन्नु सिंह खान्डे, उम्र 38 वर्ष, निवासी-ग्राम-करहीडीह, पोस्ट-बलौदा, तहसील-अकलतरा, जिला-जांजगीर चांपा, वर्तमान निवासी-वार्ड नं.- 19, विवेकानंद नगर, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. उत्तरी बाई आत्मजा श्री धनीराम मिलन था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री छन्नु सिंह खान्डे के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती सरिता खान्डे रख ली हूं. मेरे पेन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा नया नाम दर्ज है इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती सरिता खान्डे ध. प. श्री छन्नु सिंह खान्डे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
कु. उत्तरी बाई पिता-श्री धनीराम मिलन निवासी-क्वार्टर सी.-157 माईनस क्वार्टर आदर्श नगर, कुसमूण्डा, जिला-कोरबा (छ. ग.)	श्रीमती सरिता खान्डे पति-श्री छन्नु सिंह खान्डे निवासी-ग्राम-करहीडीह, पोस्ट-बलौदा, तह. अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.), वर्तमान निवासी-वार्ड नं.-19, विवेकानंद नगर, राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ठाकुर राम साहू आत्मज स्व. बरतिया राम साहू उम्र 59 वर्ष, जाति तेली, निवासी- ब्लॉक नं.-19 ई, सड़क-29, सेक्टर-5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि में मेरा नाम ठाकुर राम साहू दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम ठाकुर राम दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम ठाकुर राम साहू रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे ठाकुर राम साहू आ. स्व. बरतिया राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
ठाकुर राम (Thakur Ram) पिता-स्व. बरतिया राम साहू निवासी-ब्लॉक नं.-19 ई, सड़क-29, सेक्टर-5, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	ठाकुर राम साहू (Thakur Ram Sahu) पिता-स्व. बरतिया राम साहू निवासी-ब्लॉक नं.-19 ई, सड़क-29, सेक्टर-5, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुभाष चन्द्र जैन आत्मज स्व. मदन लाल जैन, उम्र 53 वर्ष, निवासी-ए-71, आम्रपाली सोसायटी, एम. एम. आई अस्पताल के सामने, लालपुर, अमलीडीह, रायपुर, जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसेंस में मेरा नाम सुभाष चन्द्र जैन दर्ज है जो कि वास्तविक व सही है किन्तु मेरे कुछ आवश्यक, शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों में मेरा नाम सुभाष जैन, सुभाष ओसवाल व सुभाष चन्द्र ओसवाल, सुभाष चन्द्र जैन, सुभाष ओस्तवाल दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम सुभाष चन्द्र जैन रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सुभाष चन्द्र जैन आ. स्व. मदन लाल जैन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सुभाष जैन, सुभाष ओसवाल, सुभाष चन्द्र ओसवाल
सुभाष चन्द्र जैन, सुभाष ओस्तवाल
पिता-स्व. मदन लाल जैन
निवासी-ए-71, आम्रपाली सोसायटी,
एम. एम. आई. अस्पताल के सामने,
लालपुर, अमलीडीह, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

सुभाष चन्द्र जैन
पिता-स्व. मदन लाल जैन
निवासी-ए-71, आम्रपाली सोसायटी,
एम. एम. आई. अस्पताल के सामने,
लालपुर, अमलीडीह, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सूरज जायसवाल, आत्मज स्व. राजकुमार जायसवाल, उम्र 35 वर्ष, निवासी-म. नं.-सी. एच. 1096, वार्ड नं.-16, ढांचा भवन, कुरूद, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड में मेरा नाम सूरज जायसवाल आ. राजकुमार जायसवाल दर्ज है जो कि सही है किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों व अन्य आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों आदि में मेरा नाम सूरज चौधरी आ. राजकुमार चौधरी दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम सूरज जायसवाल रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे सूरज जायसवाल आ. स्व. राजकुमार जायसवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

सूरज चौधरी
पिता-राजकुमार चौधरी
निवासी-म. नं.-सी. एच. 1096,
वार्ड नं.-16, ढांचा भवन,
कुरूद, भिलाई,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सूरज जायसवाल
पिता-स्व. राजकुमार जायसवाल
निवासी-म. नं.-सी. एच. 1096,
वार्ड नं.-16, ढांचा भवन,
कुरूद, भिलाई,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राकेश कुमार हिरवानी आत्मज स्व. पुनाराम हिरवानी, उम्र 54 वर्ष, निवासी-स्थाई पता-ग्राम-सुरडुंग, वार्ड नं. 20, नगर पालिका परिषद, जामुल, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) वर्तमान निवासी-ब्लॉक नं.-12/ए, क्रास स्ट्रीट-10 सेक्टर-01, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस एवं अन्य आवश्यक शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा पूर्ण नाम राकेश कुमार हिरवानी दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा अपूर्ण नाम राकेश कुमार दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम/उपनाम राकेश कुमार हिरवानी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राकेश कुमार हिरवानी आ. स्व. पुनाराम हिरवानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

राकेश कुमार
(Rakesh Kumar)
पिता-स्व. पुनाराम हिरवानी
निवासी-स्थाई पता-ग्राम-सुरडुंग,
वार्ड नं.-20, नगर पालिका परिषद् जामुल,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
वर्तमान निवासी-ब्लॉक नं.-12/ए,
क्रास स्ट्रीट-10, सेक्टर-01, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

राकेश कुमार हिरवानी
(Rakesh Kumar Hirwani)
पिता-स्व. पुनाराम हिरवानी
निवासी-स्थाई पता-ग्राम-सुरडुंग,
वार्ड नं.-20, नगर पालिका परिषद् जामुल,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
वर्तमान निवासी-ब्लॉक नं.-12/ए,
क्रास स्ट्रीट-10, सेक्टर-01, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, The Right Reverend Lord Badem Swaminadulu आत्मज स्व. बी. योसफ, उम्र-49 वर्ष, निवासी-सड़क नं.-3, ब्लॉक नं.-1/बी हॉस्पीटल सेक्टर-भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम रेव्ह. बी. स्वामीनादुलु (Reverend B. Swaminadulu) था. तथा इसी नाम से मैं जाना, पहचाना जाता था, यही नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों व अभिलेखों में दर्ज है. यह कि दिनांक 01-05-2017 को "बिसप" की उपाधि मिलने के बाद मैंने अपना नाम The Right Reverend Lord Badem Swaminadulu रख लिया हूं. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे The Right Reverend Lord Badem Swaminadulu आत्मज स्व. बी. योसफ, के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

रेव्ह. बी. स्वामीनादुलु
(Reverend B. Swaminadulu)
पिता-स्व. बी. योसफ
(Late B. Yesoph)
निवासी- सड़क नं.-3, ब्लॉक नं.-1/बी
हॉस्पीटल सेक्टर-भिलाई,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

दि राईट रेव्हरेनेड लार्ड बादेम स्वामीनादुलु
(The Right Reverend Lord Badem Swaminadulu)
पिता-स्व. बी. योसफ
(Late B. Yesoph)
निवासी- सड़क नं.-3, ब्लॉक नं.-1/बी
हॉस्पीटल सेक्टर-भिलाई,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजकुमार सिंह आत्मज श्री अभयराज सिंह, उम्र 45 वर्ष, निवासी-जेन 4, गणपति विहार, महावीर स्टेडियम के पास, बोरसी, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. यह कि मेरे पुत्र के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड में उसका नाम उत्कर्ष राज सिंह दर्ज है जो कि सही व वास्तविक है, किंतु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम उत्कर्ष सिंह दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर सही नाम उत्कर्ष राज सिंह रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को उत्कर्ष राज सिंह आ. राजकुमार सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
उत्कर्ष सिंह (Utkarsh Singh) पिता-श्री राजकुमार सिंह निवासी- जेन 4, गणपति विहार, महावीर स्टेडियम के पास, बोरसी, दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)	उत्कर्ष राज सिंह (Utkarsh Raj Singh) पिता-श्री राजकुमार सिंह निवासी- जेन 4, गणपति विहार, महावीर स्टेडियम के पास, बोरसी, दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 20 नवम्बर 2017

क्रमांक/परिसमापन/पुनर्जिवित/2017/2626.—आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. उषाढ़ पंजीयन क्रमांक 3366 दिनांक 26-09-1990 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर को पुर्नजीवित किये जाने हेतु परिसमापक श्री दीपक कंवर सहकारिता विस्तार अधिकारी पेण्ड्रा समिति के प्रबंधक द्वारा पुर्नजीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा समिति सदस्यों की बैठक दिनांक 12-10-2017 को की गई है, जिसमें संस्था के वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 को वित्तीय पत्रक संलग्न करते हुए संस्था कार्यशील होने से सदस्यों के हित में संस्था को पुर्नजीवित किये जाने का लेख किया गया है. अत: सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए संस्था प्रबंधक एवं श्री दीपक कवंर सहकारिता विस्तार अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. उषाढ़ पंजीयन क्रमांक 3366 दिनांक 26-09-1990 विकास खण्ड, मरवाही, जिला बिलासपुर को इस शर्त पर "कि संस्था का रिकार्ड संधारण अद्यतन स्थिति तक संधारित करें, तातारीख कैशबुक लिखी जाकर नियमित अंकेक्षण कराई जावे एवं निर्धारित समयावधि में मतदाता सूची तैयार कर छ. ग. राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग रायपुर को संस्था के निर्वाचन हेतु विधिवत निर्धारित प्रारूप में आवेदन भेजेगी" पुर्नजीवित करता हूँ एवं आगामी 03 माह तक संस्था के कार्य संचालक हेतु तात्कालीन संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूँ.

बिलासपुर, दिनांक 04 दिसम्बर 2017

क्रमांक/परि./2017/2713.—वस्तुत: दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. गिरधौना विकासखण्ड-तखतपुर, जिला-बिलासपुर प. क्र. 3565 दिनांक 30-12-1994 कई वर्षों से अकार्यशील होने एवं संस्था के संचालन हेतु पूर्व अध्यक्ष एवं सदस्य के द्वारा रिकार्ड प्रभार में नहीं देने के कारण संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा परिसमापन में लाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अतएव प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. गिरधौना पं. क्र. 3565 दिनांक 30-12-1994 विकासखण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूं तथा श्री जी. पी. बिन्द सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी तखतपुर को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅं.

बिलासपुर, दिनांक 04 दिसम्बर 2017

क्रमांक/परि.//2017/2714.—वस्तुत: सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. रेल्वे कालोनी (मोपका) बिलासपुर विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर प. क्र. 3157 दिनांक 08-11-1985 का निर्वाचन ड्यू होने के कारण संस्था के पास निर्वाचन हेतु फंड उपलब्ध नहीं होने, तथा वर्ष 2010-11 से अंकेक्षण लंबित होने का लेख करते हुए श्री संस्था के प्रभारी अधिकारी द्वारा संस्था को परिसमापन में लाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अतएव प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये सरकारी कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. रेल्वे कालोनी (मोपका) बिलासपुर विकासखण्ड-बिल्हा, जिला-बिलासपुर पं. क्र. 3157 दिनांक 08-11-1985 को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. एन. तिवारी सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूॅं.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.